FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

....बनाम ....

किस्म मुकदमा.................................नं. ......48......सन् ......2025......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख की तामील में जारी हुए
25/6/25	प्रार्थी के अधिवक्ता श्री हरीश शर्मा द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये गए प्रार्थना पत्र/वाद पत्र के प्रकरण में फाइल किये गये आवेदन के पढ़ने के पश्चात और उसके समर्थन मे प्रस्तुत किये नकल जमाबन्दी व शपथपत्र, एवं दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनने के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा, सन्तुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे प्रमाणित मानते हुये स्थगन बाबत् आदेश है कि मौजा चिकारडा पटवार हल्का चिकारडा में खाता संख्या 84 में वर्णित आराजी किता 2 रकबा 3.1490 हेक्टेयर, खाता संख्या 83 में वर्णित आराजी किता 7 कुल रकबा 5.1970 हेक्टेयर, खाता संख्या 78 में वर्णित आराजी किता 1 कुल रकबा 0.0879 हेक्टेयर भूमि स्थित है। जो वादग्रस्त है। खाता संख्या 84 में वर्णित आराजी किता 2 कुल रकबा 3.1490 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या के नाम पर दर्ज रिकॉर्ड है। विपक्षी संख्या 1 के द्वारा खाता संख्या 84 में वर्णित आराजियात को खुर्द–बूर्द कर अन्य व्यक्ति को हस्तानान्तरण करने पर आमादा है। इसलिए विपक्षीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि उक्त खातों में वर्णित आराजीयात की मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इसमें यदि कोई वजह रखते हो तो दिनांक ....29/7/25.... को समय दोपहर 12:00 बजे न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे, अनुपस्थिति की दशा में एक पक्षीय की कार्यवाही अमल मे लाई जावेंगी। उक्त आशय का हुक्मनामा जारी कर विपक्षी को तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते जवाब देखने तामील रिपोर्ट में दिनांक ....29/7/25....को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
3/7/25	प्रार्थी की ओर से [illegible] उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र को विड्रो करना चाहा गया इस पत्रावली शीगह से तलब की गई। पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2025.08.13 15:34:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

बाद जांच अवलोकन पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है। तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. के प्रकरण की पत्रावली को विक्रय की अनुमति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
डूँगला
जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2025.08.13 15:34:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner